**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 38/2018 (राजसमन्द डिक्की)**

1. चेतन कुमार पिता रतनलाल जी जैन, निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. गौरव पिता रतनलाल जी जैन, निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती चन्द्रा देवी बेवा रतनलाल जी जैन, निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लक्ष्मीलाल पिता उदयलाल महाजन, निवासी बिनोल (मृतक) के बजाय :–

1/1.अमित पिता लक्ष्मीलाल जी महाजन (चोरडिया), निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/2.नरेश पिता लक्ष्मीलाल जी महाजन (चोरडिया), निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

1/3.श्रीमती फूली देवरी बेवा लक्ष्मीलाल जी महाजन (चोरडिया), निवासी बिनोल, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

2. लक्ष्मीलाल पिता छोटूलाल जी साहू, निवासी किशनगढ़ हाल फर्म महादेव मार्बल, किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
3. खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 27.10.2016, प्र.सं. 166/16

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

28—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं उनके परिवार के सदस्यों के संयुक्त खातेदारी अधिकारों भूमि ग्राम बिनोल में स्थित है। वादी के भ्राता गेहरीलाल, मदनलाल एवं स्वर्गीय अम्बालाल पिता उदयलाल के उत्तराधिकारी श्रीमती सोहनी देवी व दिनेश चन्द्र ने संयुक्त पुश्तैनी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विकय कर दी, जिसके आधार पर उसके नाम नामान्तरकरण खुला। वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ''क'' की भूमियां कुल किता 13 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम बिनोल में स्थित है। अतः उक्त भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से भूमियां कय की गयी हैं तथा उसके पक्ष में खनन पट्टा भी स्वीकृत हुआ है, जिस पर वह काबिज है। अतः वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय राजीनामा व राजस्व रेकार्ड अनुसार दिनांक 31—05—2016 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिकी जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27—10—2016 को अंतिम डिकी जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतिम डिकी दिनांक 27—10—2016 से रूष्ट होकर रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या

4 से 6 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अंतिम डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 21–06–2018 को हुई। तत्पश्चात् नकले लेकर अपील प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलान्ट अथवा उसके अपोलान्ट वक्त अंतिम डिक्री अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। तद्नुसार उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का कथन उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को किय जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि पर्चा मौका तैयार करने से पूर्व अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी है तथा पर्चा मौका तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये उसके कब्जे शुदा भूमि को रेस्पोन्डेन्ट के हक में रख दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण आधार पर करने का निवेदन किया।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि फर्द बंटवाड़ा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि फर्द बंटवाड़ा स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाने के विधिक प्रावधान हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री जो उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर जारी की गयी है, प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 27–10–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवाड़े पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां है तो उनका निर्धारण करते हुए प्रकरण में विधिक के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–08–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

स्व॰ उदयलाल के बजाय देवीलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

बनाम

स्व॰ किशनलाल के बजाय माधवलाल सुथार, निवासी पीपली डोडियान, त. रेलमगरा, जि. राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....22 / 2013.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....राजसमन्द..... मुकाम.....मुवर्खे.....13.....माह..... 05.....2013

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....21....माह.....05.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अक्षय पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपोलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2013 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....21.....माह.....05... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।